

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Office of the,  
General Manager (P),  
Hajipur.

Dated: 28.11.2019.

L.No: ECR/HRD/GAZ/Med/CMP/Loose-2019.

APO/MPP,  
ECR/HJP

Sub:- Uploading of notification on website for engagement of CMP(Specialists)  
in the form of 'Walk-in-Interview' in Medical Department of E.C.Railway.

\*\*\*\*\*

Enclosed please find herewith a copy of notification dated 28.11.2019 (bi-lingual) for  
engagement of CMP (Specialists) at CSSH/E.C.Railway/Patna. Detailed notification may kindly  
up-loaded on E.C.Railway's website.

DA: As above.

1. Hindi notification 05 page
2. English notification 04 page

*Vivek Kumar*  
28.11.19

(Vivek Kumar)  
Dy. CPO/Gaz.

For General Manager (P)/HJP

## EAST CENTRAL RAILWAY

**Notification No: ECR/HRD/Gaz/Med./CMP/Loose-2019 Dated:28.11.2019.**

### **“Walk-in-Interview” for engagement of Specialist Doctors on contract basis.**

1. “Walk-in-Interview” will be conducted by East Central Railway for engagement of full time Specialists doctors for Central cum Super Specialty Hospital/Patna. Willing Doctors who fulfill the qualification/eligibility criteria specified below may apply for the above engagement. The engagement will be purely on Contract basis for the period of one year which can be renewed as a fresh contract on year to year basis (not extendable beyond 12 years) or till the post filled by regular Doctors selected from UPSC or the scheme is available whichever is earlier.

2. **Specialists Doctor (Full time)**

(A) Vacancies :

S/N	Post	HQ/Division/Unit	Vacancies	Qualification
1	CMP (Specialist-Paediatric)	Central Cum Super Specialty Hospital/Patna	01	(MD)/Diploma in Paediatric
2	CMP (Specialist-Surgeon)		01	(MS/Lap & G.S)
3	CMP (Specialist-Orthopaedic)		01	MS Diploma in Ortho
4	CMP (Specialist-Cardiologist)		01	(MD/DM/DNB in cardiology) or MD(Medicine)
<b>Total -</b>			<b>04</b>	

(B) **Qualification for Specialists:**

- (a) Degree/Diploma in corresponding specialty mentioned above in remarks column.  
(b) Should be registered with Medical Council of India/Medical Council of State.

(C) **Remuneration for Specialists :**

Rs.95,000/ (Rupees Ninty Five thousand only) for the 1<sup>st</sup> Year; Rs.105,000/ (Rupees One Lakh Five thousand only) for 2<sup>nd</sup> Year & onward per month, if Railway accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided, deduction will be made from the monthly remuneration equivalent to House Rent Allowance payable on minimum pay to Senior Scale officer (Level-11 in 7<sup>th</sup> CPC) and fixed license fee for accommodation.

3. **Age limit:** - Not exceeding 53 years as on 01.12.19 for Specialist, which is relaxable by 05 (five) years for candidates belonging to SC/ST community & 03 (three) years for OBC as the case may be.  
4. **Community break-up of total vacancies** : UR-01; SC-01; ST-01 & OBC-01 (Total – 04)  
5. **Schedule & Venue of Walk-in-Interview** :

S/N	Place of Walk-in-Interview	Date of Walk-in-Interview	Time
1	Central cum Super Specialty Hospital/ECR/Patna	13.12.2019	09.00 AM

6. Retired IRMS officers, Retired Government Medical Officers of State Government, Central Government and PSUs (only those who are not pensionable) may also apply against above vacancies. The condition will be as under:-  
(i) **Age:-** Not exceeding 67 years as on 01.12.19.  
(ii) **Qualification:-** Degree/Diploma in *corresponding specialty* mentioned in remarks column above for Specialty, the minimum qualification required is MBBS.  
(iii) **Remuneration:-** Fixed remuneration of Rs.46000/ ( Forty Six Thousand only ) per month, subject to condition that remuneration + pension should not exceed the last pay drawn by Retired Doctors: It is not applicable to Retired doctors from PSUs (Whose service is not pensionable).  
(iv) **Terms and condition** will be followed as mentioned in Railway Board's L.No:2008/E(GR)II/1/1 dated-16.07.12, Rly.Bd's L.No-2013/E(GR)II/1/5 dated-20.05.14, L.No.2014/E(GR)II/1/1 dt-13.06.17, Rly.Bd's L.No.2018/Terms.Cell/Health/Medical Issues dated-24.08.2018 & Rly. Bd's L.No.2013/E(GR)II/1/5 dated-11.10.2019.  
(v) The engagement of retired doctors will be purely on Contract basis for the period of one year which can be renewed as a fresh contract on year to year basis (not extendable beyond 7 terms or 67 year of age which is earlier) or till the post filled by regular Doctors selected from UPSC or the scheme is available whichever is earlier.

Contd...P/

7. How to apply:-

Candidates intending to join as Contract Medical Practitioner should apply on prescribed format (enclosed) and submit the same up to 09.00 A.M on the date of interview at the venue along with self attested photocopies of following documents and attend the "Walk-in-Interview" with original certificates mentioned below -

- (h) Proof of age.
- (i) Proof of passing MBBS, Internship, Degree, Diploma & other educational qualifications.
- (j) Proof of registration in Indian Medical Council/Medical Council of State.
- (k) Proof of caste in case of SC/ST candidate & non-creamy layer certificate in case of OBC candidates. (only on prescribed format for Central Government will be accepted in case of OBC).
- (l) Mark Sheet(s) of relevant qualification(s).
- (m) 04 (four) copies of recent passport size photograph with self signature.
- (n) Original Pension Payment Order book & self attested copy of the same in case of Retd. Doctor.

8. General Conditions and other facilities:-

- (a) In the event of absence from duty, deduction from the remuneration will be applicable @ daily rate of proportionate of remuneration.
  - (b) Railway administration has legitimate right to transfer the engaged CMP(s) any where over E.C.Railway in case of administrative exigency.
  - (c) One set of 1<sup>st</sup> class complementary pass for self and family shall be issued during each contract period after completion of three months of regular contract service. Contract Medical Practitioner can avail free medical treatment on E.C.Railway Hospital for self only.
  - (d) No TA/DA will be paid to the candidates for attending the interview.
  - (e) Selected candidates will be posted at Cental cum Super Speciality Hospital, East Central Railway/Patna.
  - (f) CMP will have no right of posting against regular vacant post or transfer at his own request.
  - (g) CMP is not be allowed private practice after sanction of contract.
  - (h) The candidates working in any Medical Organization/State Govt. should submit their applications through proper channel with "No Objection certificate".
  - (i) There may be change in numbers of vacancies and place of posting as specified above depending upon administrative requirement. Offer of posting will be made on the basis of availability of vacancies at the time of engagement.
  - (j) Posts indicated herein may be kept unfilled at the discretion of Railway administration.
  - (k) Contract Medical Practitioners engaged on contract basis in the Railway will not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of the term of contract service. The service rendered as CMP will not confer the right to take waitage for regular selection through UPSC and also will not confer any right for regularization or absorption.
  - (l) If Railway accommodation is provided to the CMPs subject to availability and after meeting the requirement of serving Railway officers, an amount equivalent to HRA payable to afresh entrant to Group 'A' Junior Scale/Sr.Scale and license fee of the Railway accommodation will be deducted from the monthly remuneration payable to the Contract Medical Practitioner.
  - (m) In case Specialists are not available against the vacancies as notified, Railway Administration will reserve the right to engage General Duty Doctors against these vacancies.
  - (n) Offer of engagement will be issued in favour of selected candidates. The candidates should report within 15 days from the date of issue of offer letter. For candidates not reporting within stipulated time, offer may be cancelled.
  - (o) Contract of the CMPs can be terminated by the Railway at any time during the contract period by giving 15 days notice without assigning any reason as per the terms and condition laid down in Railway Board's L.No:2007/H/1/1 dt-16.10.08; L.No:96/E(GR)II/9/16 dt-23.02.2000; L.No:2013/E(GR)II/1/5 dt-20.05.14; L.No.2014/E(GR)II/1/1 dt-13.06.17; Rly.Bd's L.No 2018/Terms.Cell/Health/Medical dated-24.08.2018 & Rly. Bd's L.No. 2013/E(GR)II/1/5 dated-11.10.2019.
9. Candidates should report with original relevant document for "Walk-in-Interview" at the venue mentioned above at 09.00 AM on the date of interview positively otherwise their application will not be entertained.
10. Notification & other information regarding engagement of CMP may be downloaded from E.C.Railway's website [www.ecr.indianrailways.gov.in](http://www.ecr.indianrailways.gov.in). (Click Hajipur>Personnel>Recruitment/ Selection/Notification).

DA: Application format.

  
(Vivek Kumar)

Dy. CPO/GAZ.

For General Manager (P)/ ECR/HJP

## पूर्व मध्य रेल

अधिसूचना संख्या: ईसीआर/एचआरडी/राज/मेड/सीएमपी/लूज-2019 दिनांक-28.11.2019.

**अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु 'वॉक-इन-इंटरव्यू'  
(Walk-in-Interview)**

- पूर्णकालिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए '**वॉक-इन-इंटरव्यू (Walk-in-Interview)**' का आयोजन पूर्व मध्य रेल के केन्द्रीय सह सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय/पूरुमे/पटना के लिए किया जा रहा है। इच्छुक चिकित्सक जो निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता/निर्धारित योग्यता को रखते हों, वे 'वॉक-इन-इंटरव्यू' के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः टेके के आधार पर 01 वर्ष के लिए होगी तथा वर्षवार इसका नवीनीकरण/अवधि विस्तार, जो अधिकतम 12 वर्ष तक हो सकता है या पद को नियमित चिकित्सकों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने तक या योजना लागू रहने तक जो भी पहले हो रहेगा।

### 2. विशेषज्ञ चिकित्सक (पूर्णकालिक)

(क) विशेषज्ञ चिकित्सक (पूर्णकालिक) की रिक्ति :

क्र. सं.	पद	मंडल/ईकाई	रिक्ति	शैक्षणिक योग्यता
1	विशेषज्ञ चिकित्सक (बाल चिकित्सक)	सेन्ट्रल सह सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय/पटना	01	एमडी -बाल चिकित्सा में डिप्लोमा
2	विशेषज्ञ चिकित्सक (शल्य चिकित्सक)		01	एमएस -एलएपी और जी0एस0
3	विशेषज्ञ चिकित्सक (और्थोपेडीक)		01	एमएस -और्थो में डिप्लोमा
4	विशेषज्ञ चिकित्सक (कार्डियलजी)		01	कार्डियलजी में एमडी/डीएम0/डीएनबी या एमडी मेडीसीन
<b>Total -</b>			<b>04</b>	

(ख) शैक्षणिक योग्यता:-

- संबंधित विशेषज्ञता अभ्युक्ति कॉलम में दर्शाये गए डिग्री/डिप्लोमा।
- इण्डियन मेडिकल कॉउन्सिल/मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ स्टेट से पंजीकृत होना चाहिए।

(ग) मानदेय:-

₹95,000/(रूपये पनचानवे हजार मात्र) पहले वर्ष के लिए तथा ₹105,000/(रूपये एक लाख पाच हजार मात्र) दूसरे व बाद के वर्षों के लिए प्रति माह यदि रेलवे आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मानदेय से आवास शुल्क के रूप में प्रवर वेतनमान अधिकारी (₹10000-15200/5वें वेतन आयोग) के न्यूनतम वेतन स्तर पर दिया जाने वाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशि एवं आबंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क के बराबर कटौती की जाएगी।


- आयु** :-01.12.19 को 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अजा/अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों के मामले में 05 वर्ष एवं अपिजा के लिए 03 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- कुल रिक्ति का समुदायवार बटवारा** - सामान्य-01, अजा-01 अजजा-01 तथा अपिव-01 (कुल-04)
- वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए समय व स्थान:**

क्र. सं.	वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए स्थान	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि	समय
1	केन्द्रीय सह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/ पूर्व मध्य रेल/पटना	13.12.2019	09.00 बजे पूर्वाह्न

6. सेवानिवृत्त आई.आर.एम.एस. अधिकारी, राज्य तथा केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त चिकित्सक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त चिकित्सक (जो पेंशनभोगी नहीं हैं) भी उपरोक्त रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। शर्तें निम्नवत होंगी -
- (i) आयु:- दिनांक-01.12.19 को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता:- संबंधित विशेषज्ञता अभ्युक्ति कॉलम में अंग्रेजी में दर्शाये गए डिग्री/डिप्लोमा तथा सामान्य ड्यूटी चिकित्सक (पूर्णकालिक) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस. होगा।
- (iii) मानदेय:- नियत वेतन रु46000/ (रूपये छियालीस हजार) प्रतिमाह होगा। (यह मानदेय इस शर्त के साथ देय होगा कि मानदेय + पेंशन का योग आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।) यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त चिकित्सको पर लागू नहीं होगा।
- (iv) इस मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-2008/ई(जीआर)11/1/1 दिनांक-16.07.12 तथा रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-2008/ई(जीआर)11/1/5 दिनांक-11.10.19 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
- (v) सेवानिवृत्त चिकित्सको की नियुक्ति पूर्णतः ठेके के आधार पर 01 वर्ष के लिए होगी तथा वर्षवार इसका नवीनीकरण/अवधि विस्तार, जो अधिकतम 7 वर्ष या 67 वर्ष आयु जो पहले हो तक हो सकता है या पद को नियमित चिकित्सकों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने तक या योजना लागू रहने तक जो भी पहले हो रहेगा।
7. आवेदन कैसे करें :-
- जो अभ्यर्थी अनुबंधित पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में सेवा देने के इच्छुक हों, वे निर्धारित प्रपत्र पर साक्षात्कार की तिथि को 09.00 बजे तक प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छाया प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शामिल हों :-
- (क) जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (ख) एम.बी.बी.एस. इंटरनशिप, डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- (ग) इंडियन मेडिकल कॉउन्सिल/राज्यों में पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (घ) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा समुदाय के हों जो जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने पर ओबीसी-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र (केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में)।
- (ङ) संबंधित योग्यता से संबंध अंक तालिका।
- (च) स्व-हस्ताक्षर वाले चार पासपोर्ट आकार के फोटो।
- (छ) सेवा निवृत्त चिकित्सक के मामले में पेंशन पेमेन्ट आर्डर की मूल तथा सत्यापित फोटो प्रति के साथ।
9. सामान्य शर्त एवं अन्य सुविधाएँ :-
- (क) अनुपस्थिति की स्थिति में मानदेय से अनुपातिक आधार पर दैनिक कटौती लागू होगी।
- (ख) अनुबंध के आधार पर नियुक्त मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार पूर्व मध्य रेल के किसी भी मंडल/यूनिट में स्थानान्तरण करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ग) प्रत्येक ठेके की अवधि के दौरान तीन माह की लगातार सेवा देने के उपरांत एक सेट प्रथम श्रेणी मानार्थ पास स्वयं तथा परिवार के लिए जारी किए जा सकते हैं। अनुबंधित चिकित्सक स्वयं की बीमारी के लिए पूर्व मध्य रेल के अस्पतालों में अपना ईलाज मुफ्त में करा सकते हैं।
- (घ) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (ङ) चयनित उम्मीदवारों को पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों पर किसी भी चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित किया जा सकता है। अधिसूचित रिक्ति सिर्फ सांकेतिक है एवं रेल प्रशासन के पास इसमें परिवर्तन का पूरा अधिकार सुरक्षित होगा।

- (च) अनुबंधित चिकित्सक को स्थायी रिक्त पद नियमित पदस्थापना अथवा स्वैच्छिक स्थानान्तरण के लिए अनुरोध करने का अधिकार नहीं होगा।
- (छ) अनुबंध के स्वीकृति के पश्चात् अनुबंधित चिकित्सकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ज) जो अभ्यर्थी पहले से किसी चिकित्सा संगठन/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, वे अपना आवेदन उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ जमा करेंगे।
- (झ) उपर विनिर्दिष्ट पदों की संख्या और स्थान परिवर्तन शर्त के अधीन है। प्रस्ताव नियुक्ति के समय उपलब्ध रिक्तियों पर आधारित होंगे।
- (ञ) उपरोक्त अधिसूचित पदों को नहीं भरने का अधिकार प्रशासन के पास होगा।
- (ट) रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले अनुबंधित चिकित्सकों को सेवा में बने रहने अथवा पूर्णकालिक अनुबंध के तौर पर की गई अनुबंध सेवा की शर्त में स्वतः विस्तार का कोई दावा अथवा अधिकार नहीं होगा। चिकित्सकों का संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन में इनकी अवधि पर विचार करने में इस अनुबंध अवधि का कोई संबंध नहीं होगा और न ही यह नियमितकरण अथवा आमेलन का कोई अधिकार प्रदान करेगा।
- (ठ) यदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मानदेय से शुल्क के रूप में अवर वेतनमान अधिकारी (₹8,000-13500/5वाँ वेतन आयोग)/प्रवर वेतनमान अधिकारी (₹10000-15200/5वाँ वेतन आयोग) के न्यूनतम वेतन स्तर पर दिया जाने वाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशि एवं आबंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क की कटौती की जाएगी।
- (ड) विशेषज्ञों हेतु अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस स्थिति में रिक्त को सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों द्वारा भरने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) चयनित चिकित्सकों को बुलावा पत्र भेजा जाएगा, पत्र जारी होने की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अंदर इस अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने की दशा में उसे रद्द समझा जाएगा।
- (ण) रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-2007/एच/1/1 दिनांक-16.10.08, पत्र सं०-96/ई(जीआर)।।/9/16 दिनांक -23.02.2000, पत्र सं०-2013/ई(जीआर)।।/1/5 दिनांक-20.05.2014, तथा पत्र सं०-2014/ई(जीआर)।।/1/1 दिनांक-13.06.17 में निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार रेलवे द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
10. अभ्यर्थियों को वाक्-इन-इंटरव्यू के दिन सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपरोक्त स्थान पर 09.00 उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11 अधिसूचना एवं अन्य सूचना पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट [www.ecr.indianrailways.gov.in](http://www.ecr.indianrailways.gov.in). (Click Hajipur> Personnel>Recruitment/Selection/Notification) से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नक: आवेदन का प्रारूप।

  
28.11.19  
(विवेक कुमार)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज०  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर